Serial No. 35658

Deed No. 29837

# Govt. of Bihar
## District Registry Office ,Patna
### Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 30/11/2012 by Harihar Prasad
A stamp duty of Rs. 87160/- and other fees of Rs. 754/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 29837 in Book No. 1, Volume No. 578 on pages from 421 to 438 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 90 / Year 2012

30/11/2012
Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Patna

Date: 30/11/2012 Token No: 36547 /2012

SCANNED

Scanned by Archisoft

एवल जाँच
30/11/2012

## भूखण्ड विकास (डिभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

1. लेख्यकारीगण (भू-स्वामीगण) का नाम एवं पता :-

1) श्री हरिहर प्रसाद } पिता का नाम
2) श्री साधु शरण राय } श्री रामपृत राय

3) श्री उदय कुमार } पिता का नाम
4) श्री सोनु कुमार } श्री हरिहर प्रसाद,

30/11/12

21/11/12
30-11-2012

# District Registry Office, Patna

Token Number 36547 | Reg. Year 2012 | Serial Number 35658 | Deed Number 29837

| PresType | Name | Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identified By | Lalan Ray |  |  | | | | |
| Sig. | 30/11/012. | | | | | | |
| Presented By | Harihar Prasad |  |  |  |  |  | |
| Sig. | 30-11-12 | | | | | | |
| Executant | Harihar Prasad | | | | | | |
| Sig. | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Executant | Surendra Kumar |  |  |  |  |  |  |
| Sig. | Surendra Kumar 30/11/012 | | | | | | |
| Executant | Sadhu Sharan Rai |  |  |  |  |  |  |
| Sig. | साधु शरण राय 30/11/012 | | | | | | |
| Executant | Uday Kumar |  |  |  |  |  |  |
| Sig. | उदय कुमार 30.11.12 | | | | | | |
| Executant | Sonu Kumar |  |  |  |  |  |  |
| Sig. | सोनू कुमार 30/11/012 | | | | | | |
| Executant | Dinanath Prasad |  |  |  |  |  |  |
| Sig. | दिनानाथ प्रसाद 30:11:12 | | | | | | |

**SCORE Ver.3.0** | Powered by InfoSystem and Solutions, Patna | Biometric Captured By 2800sop012

5) श्री सुरेन्द्र कुमार } पिता का नाम
6) श्री दिनानाथ प्रसाद } स्व0 विश्वनाथ राय,

7) श्री जितेन्द्र कुमार पिता स्व0 बिनोद राय,

8) श्री परमेश्वर दयाल } पिता का नाम
9) श्री उपेन्द्र कुमार } श्री साधु शरण राय,

10) श्रीमती लीलावती देवी पति स्व0 विश्वनाथ राय,

सभी निवासी ग्राम – चांगर, सर्वे थाना – फुलवारी शरीफ, पोस्ट – कुम्हरार, जिला – पटना, भारतीय नागरिक।

2. लेख्यधारी (भू–विकासक) का नाम एवं पता :–

अश्वनी इन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना द्वारा प्रबंध निदेशक **श्री अश्वनी कुमार सिंह** पिता श्री हरिदयाल सिंह, निवास स्थान – कृष्णा बिल्डिंग द्वतीय तल्ला एस.पी. वर्मा रोड, थाना – गाँधी मैदान, जिला – पटना, भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :–

विकास अनुबंध (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) जिसका सरकारी मूल्य 43,53,000/– (तेतालीस लाख तिरपन हजार रूपया) होता है।

4. समय अवधि :–

भवन निर्माण कार्य नक्शा पास एवं भूमि पूजन कि तिथि से 3 वर्ष (तीन वर्ष)।

5. अनुबंध हिस्सा :–

विकसित भू–खण्ड एवं नव निर्मित भवन में से सुपर बिल्ड अप एरिया का 50 प्रतिशत लेख्यकारीगण का यानी जमीन मालिक एवं शेष सुपर बिल्ड अप 50 प्रतिशत एरिया लेख्यधारी यानि बिल्डर्स का होगा।

6. विकास हेतु प्रदत भूखण्ड का विवरण :–

यह आवासीय भू–खण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल **19.34375 डी0 (उन्नीस दशमलव तीन चार तीन सात पॉच डिसमील),** जिसका सलाना लगान मो0–3 रूपया अलावे शेष जो मौजा–भूसौला दानापुर,

प्रगना वो सर्वे थाना – फुलवारी शरीफ, सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला – पटना, जिसका तौजी नं0 – 5164, थाना नं0 – 40 (चालीस), **कम्प्यूटर कोड – 092**, खाता नं0 – 300 (तीन सौ), खसरा सर्वे प्लौट नं0 – 1763 (एक हजार सात सौ तिरसठ) का अंश, नाम मालिक बिहार सरकार वजरीये अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ को देय है, जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

**– :: चौहदी :: –**

उत्तर – करहा एवं गणेश प्रसाद

दक्षिण – पोखरा

पूरब – रामचन्द्र राय के वारिसान एवं सर्वे प्लौट नं0–1762

पश्चिम – लक्ष्मी राय

यह कि उपर्युक्त भूखण्ड अनुबंध (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) आज दिनांक – 29.11.2012 ई0 को लेख्यकारीगण और लेख्यधारी के बीच निष्पादित हो रहा है।

1- यह कि खाना नं0 – 5 में वर्णित भूखण्ड मुलतः लेख्यकारी नं0 – 1 एंव 2 के पिता एवं लेख्यकारी नं0 – 3 ता 10 के दादा रामपृत राय की खास खरीदगी सम्पति है जिसका मरकुमा तारीख – 03.06.1966 ई0 वसीका नं0 – 4737, जिल्द नं0 – 55, पेज नं0 – 528 से 534, बुक नं0– 1, निबंधन कार्यालय सदर पटना नविस्ते श्री सीताराम सिंह पिता श्री शिवकमल सिंह वगैरह, साकिन – फुलीया टोला, थाना – फुलवारी शरीफ, जिला – पटना, से खरीदकर काबिज दाखिल मालिक मुस्तकिल हुए वो रहते चले आते थे। रामपृत राय अपने पीछे चार पुत्र एके हरिहर प्रसाद दूसरे विश्वनाथ राय तीसरे बिनोद राय चौथे साधु शरण राय को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास पिता के चारो भाई आपसी खानगी बॅटवारा के द्वारा बॉट गये और अपने मिले हुए खास हक वो हिस्सा की सम्पति पर मलिक मुस्तकिल काबिज दाखिल हुए वो रहते चले आते थे। हरिहर

प्रसाद के दो पुत्र एके उदय कुमार दूसरे सोनू कुमार हैं, विश्वनाथ राय अपने पीछे तीन पुत्र एके विजय कुमार दूसरे सुरेन्द्र कुमार तीसरे दीनानाथ राय को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास पिता के तीनों भाई इजमालन सम्पति पर मलिक मुस्तकिल काबिज दाखिल हुए वो रहते चले आते है बिनोद राय अपने पीछे दो पुत्र एके जितेन्द्र कुमार दूसरे राजेश कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद स्वर्गवास पिता के दोनों भाई आपसी खानगी बॅटवारा के द्वारा बॉट गये और अपने मिले हुए खास हक वो हिस्सा की सम्पति पर मलिक मुस्तकिल काबिज दाखिल हुए वो रहते चले आते हैं साधु शरण राय अपने दो पुत्र एके परमेश्वर दयाल दूसरे उपेन्द्र कुमार है। जिसपर लेख्यकारीगण काबिज दाखिल चले आते है।

2. यह कि उक्त लेख्यकारीगण की आंतरिक इच्छा हुई कि उक्त जमीन से यथेष्ट लाभ नहीं है तथा उपर्युक्त जमीन पर इमारत बनवाये जिससे जीवन भरण पोषण में फायदा हो वो सुख से जीवन अच्छी तरह बिताये लेकिन उनके पास अपना निजी रूपया एक मुस्त न होने के कारण बिल्डर्स की तलाश करने लगे वो इष्टमित्रों, शुभचिन्तकों से भी राय ली। इस पर सभी लागों ने राय मशवीरा इमरारत बनवाने को दिया वो इसके लिए **'अश्वनी इन्टरप्राईजेज प्रा० लि०'** इसे डेवलेप करने के लिए एवं उक्त जमीन पर इमारत बनाने के लिए तैयार हुये जिसका पूर्ण विवरण इस वसीका में दी गई है।

अतः लेख्यकारीगण वो लेख्यधारी ने खुशी राय वो अपने लाभ – हानि को सोंच विचारकर दोनों पक्षों ने नीचे लिखे शर्तो पर यह विकासक एकरारनामा लाभ – हानि को सोंच विचारकर दोनों पक्षों ने नीचे लिखे शर्तो पर यह विकास ताकिल किया है।

3. यह कि लेख्यधारी ने जमीन मालिक के दिये प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद तय किया एवं अपनी सहमति दी कि विकसित की जाने वाली जमीन के उपर निर्माण में विकासक का 50 प्रतिशत तथा लेख्यकारीगण का 50 प्रतिशत पर कोई भी पक्ष जब तक निर्मित भवन रहेगा तब तक निर्मित भवन में खाली जमीन का बॅटवारा नहीं करेगा और उसी अनुपात में लेख्यकारीगण को पार्किंग में भी हिस्सा होगा और शेष विकासक का होगा।
4. यह कि प्राकृतिक आपदा होने पर या कोई समस्या होने पर समय का कोई सीमा नहीं होगा इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं होगा।
5. यह कि विकासक अपने खर्च पर इस भू-भाग पर निर्मित होने वाले भवन का नक्शा किसी समर्थ आर्किटेक्ट से बनवाकर अपने हस्ताक्षर से पी0एम0सी0 में समर्पित करेगें और उसपर उनका सैंक्सन (Sanction) प्राप्त कर भवन उसे नक्शे के मुताविक बनायेगें।
6. यह कि नव निर्मित भवन का नाम "**अश्वनी इन्कलेव A-II**" लेख्यकारीगण के द्वारा रखा गया है।
7. यह कि जमीन मालिक जिस दिन इस डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करेगें उसके पन्द्रह दिनों के अन्दर जमीन का रिक्त दखल कब्जा डेवलपर्स को सुपुर्द करेगें जिससे डेवलपर्स भवन बनाने का कार्य आरम्भ कर सकें। डेवलपर्स हस्ताक्षर होने के बाद भू-खण्ड पर दखल कब्जा लेकर अपना साईन बोर्ड सुरक्षा गार्ड तथा चौकीदार/मुंशी/मैनेजर को रखेगें इसमें जमीन मालिकों को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. यह कि डेवलपर्स अपने खर्च से डिजाईन इंजिनियर आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चर इंजिनियर के द्वारा विकासक पी0एम0सी0 में लेख्यधारी अपने नाम से नक्शा जमा कर पास करवाने का कार्य करेगें। जिससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति

लेख्यकारीगण को न है और न होगा। नक्शा पास कराने के लिए न्यायोचित रूप से आवश्यकता पड़ने पर लेख्यकारीगण भू–खण्ड मालिक सभी प्रकार का कागजात जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करायेगें।

9. यह कि डेवलपर्स अपने खर्च से उपरोक्त जमीन पर भवन बनायेगें जिसमें लेख्यकारीगण को जमीन के बदले में बिल्ड अप एरिया का 50 प्रतिशत निर्मित फ्लैट एवं कार पार्किंग देगें तथा बाकी बिल्ड अप एरिया का अंश निर्मित फ्लैट में से अनुपातिक रूप में डेवलपर्स का हो जायेगा बाकी बचे हिस्से के भू–खण्ड पर निर्मित भवन फ्लैट एवं कार पार्किंग पर डेवलपर्स एवं जमीन मालिक का अनुपातिक रूप में हक होगा।

10. यह कि डेवलपर्स अपने इस भूखण्ड में अपना रकम खर्च करके भवन बनायेगें वो अपने हिससे के फ्लैट, ऑफिस एवं कार पार्किंग किसी भी अन्य व्यक्ति मेम्बर, संस्था इत्यादि के बाजार मूल्य पर वैय वेयाना, लीज, बंधक (गिरवी रखकर), बिक्री कर धन इकट्ठा करने का हक होगा ताकि डेवलपर्स को भवन बनाने में धन की कमी महसूस न हो और भवन बनाने में अड़चन या रूकावट न हो।

11. यह कि डेवलपर भवन निर्माण हेतु कर्ज के तौर पर किसी भी बैंक, हडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से अपने हिस्से के फ्लैटों/ निर्मित एरिया 50 प्रतिशत को मॉग्रेज (बंधक) रखकर ऋण लेकर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर सकते हैं, परन्तु जमीन मालिक के 50 प्रतिशत अंश पर किसी तरह का कर्ज लेने का हक नहीं होगा। इसमें लेख्यकारीगण को किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा तथा आवश्यकतानुसार वे ऋण हेतु सहयोग करेगें।

12. यह कि लेख्यकारीगण भवन निर्माण के दौरान अपने हिस्से के 50 प्रतिशत अंश को किसी भी व्यक्ति विशेष तथा

मेम्बर्स के द्वारा अपने हिस्से का फ्लैट, कार पार्किंग बेच सकते हैं। इसमें डेवलपर को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हौ और न होगी।

13.यह कि जमीन मालिक (लेख्यकारीगण) जमीन से संबंधित सभी कागजात का फोटो कॉपी डेवलपर को भवन निर्माण करने के पूर्व सुपुर्द करेगें इसमें किसी प्रकार जमीन मालिक को आपत्ति न है और न होगा। जमीन मालिक नक्शा पास होने के पूर्व तक भूखण्ड एवं उसपर पूर्व निर्माण का नगर निगम कर एवं अन्य राजस्व-कर का भुगतान करते रहेगें। और जरूरत पड़ने पर जमीन संबंधित मूल दस्तावेज (ऑरिजनल कागज) भी मुहैया करायेगें।

14.यह कि डेवलपर को यह हक होगा और है कि भवन का डिजाईन, ड्रांईग, फंट एलिवेशन, नक्शा अपने सुविधा एवं सोंच के अनुसार करेगें।

15.यह कि इस भूखण्ड विकास अनुबंध पर डेवलपर्स द्वारा भवन निर्माण के दौरान यदि किसी कारण जमीन संबंधि मामला न्यायालय में जाता है और उस मामला में यदि भवन निर्माणकर्ता (डेवलपर्स) उत्तरदायी नहीं हो तो मुकदमा का सारा खर्च जमीन मालिक द्वारा डेवलपर्स को अदा करना पड़ेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार डेवलपर्स खर्च करेगें। इसपर जमीन मालिक को किसी प्रकार की आपत्ति न है और न कभी होगी। नल का पानी तथा बिजली की सुविधा डेवलपर को खुद प्राप्त करना होगा। इसमें जमीन मालिक को कोई न आपत्ति है और न होगी। बिजली बिल का भुगतान डेवलपर्स स्वयं करेगें।

16.यह कि भूखण्ड पी0एम0सी0 से नक्शा के लिए पटना मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो भी Set Back में जमीन आयेगा, उसके आधार पर नक्शा पास होगा तथा उसी अनुसार भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण किया जायेगा,

जिसमें जमीन मालिक को किसी प्रकार की आपत्ति न है और न होगी।

17.यह कि बिल्ड अप एरिया में 50 प्रतिशत विकासक द्वारा लेख्यकारीगण को दिया गया है जो लेख्यकारीगण की जमीन जो विकासक के अंश में होगी

18.यह कि फस्ट फ्लोर, सेकण्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एवं फोर्थ फ्लोर लेख्यकारीगण (भू–स्वामीगण) एवं लेख्यधारी (भू–विकासक) को आधा – आधा शेयर होगा। यदि फिफ्थ फ्लोर बनता हैं, तो दोनो पक्ष का 50–50 प्रतिशत रहेगा। और लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारी अपने – अपने हिस्सा के अनुसार बिक्री एवं निबंधन करेगें और अपने – अपने क्रेता के दखल कब्जा देवेगें।

19.यह कि भवन निर्माण पारित नक्शा एवं निर्माण विशिष्ठ के अनुरूप होगा। डेवलपर निर्मित भवन के लिए बिजली, जौनरेटर, इंटरकॉम, ट्रासफरमर, लिफ्ट, पर्सनल मिटर आदि की व्यवस्था प्रत्येक फ्लैट ऑनर तथा जमीन मालिक के सहयोग से करेगें।

20.यह कि लेख्यकारीगण ने विश्वास दिलाया है कि जमीन में किसी प्रकार के झगड़ा – झंझट, न्यायालय में मुकदमा से मुक्त तथा किसी प्रकार के कोई भी वित्त संस्थान के ऋण इत्यादि नहीं है, जमीन हर तरह से पाक एवं साफ – सुथरा है। अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा – झंझट भवन निर्माण के दौरान पाया गया या निकाला गया तथा कोई अड़चन हुई तो वैसी स्थिति या परिस्थिति में जमीन मालिक सारा अड़चन, झगड़ा या खुद पाक साफ करके डेवलपर के भवन निर्माण का कार्य शुरू करवा देगें। इसमें जमीन

मालिक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न है और न कभी होगा।

21. यह कि जमीन मालिक एवं डेवलपर्स के बीच यदि किसी प्रकार का झंझट शुरू होता है तो दोनों पक्ष न्यायालय में जाने के पूर्व अपनी – अपनी सहमति से दोनों पक्ष मिलकर आरविट्रेटर बहाल करेगें और दोनों आरविट्रेटर मिलकर तिसरा इम्पायर चुनेंगें तथा इसका सारा खर्च भी दोनों पक्ष द्वारा देय होगा तथा आरविट्रेटर का क्षेत्राधिकार पटना होगा।

22. यह कि डेवलपर एवं जमीन मालिक अपने हिस्सा के विकसित भवन के फ्लैट एवं कार पार्किंग तथा अन्य शेष भूखण्ड पर सरकार द्वारा या अन्य कर अधिकारी द्वारा लगाये गये किसी भी प्रकार का कर अथवा शेष राशि अपने – अपने हिस्से का स्वयं जमीन मालिक एवं डेवलपर्स वहन करेगें इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति न है और न कभी होगी।

23. यह कि जमीन मालिक जमीन का रसीद कटाकर डेवलपर्स को जल्द से जल्द सुपुर्द कर देगें तथा पी0एम0सी0 से नक्शा पास कराने में डेवलपर का पूर्ण रूप से सहयोग करेगें अगर नक्शा पास कराने के दरम्यान किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति जमीन संबंधि होगा या किसी भी प्रकार का कोई भी नुक्स निकला तो वैसी स्थिति मं यह जमीन मालिक की जिम्मेवारी होगी कि सारा अड़चन खत्म कर दें।

24. यह कि डेवलपर एग्रीमेन्ट (भूख्पाण्ड विकास अनुबंध) आज दिनांक – 29.11.2012 ई0 को जमीन मालिक की रजामंदी तथा होश हवास में रहकर पढ़वाकर सोच समझकर अपने सलाहकारों से राय मशवरा लेकर बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर बनाकर डेवलपर्स को सुपुर्द कर रहे हैं और डेवलपर्स उक्त निर्मित भवन एवं भुखण्ड में से कुल बिल्ड अप एरिया का 50 प्रतिशत अंश बने हुए इमारत एवं पार्किंग प्लेस जमीन मालिक को सुपुर्द करेगें। इस

29-11-2012

डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट में हस्ताक्षर बनाने के बाद जमीन मालिक को किसी प्रकार की कोई न आपत्ति है और न होगी।

25.यह कि लेख्यधारी इस जमीन के अलावा अगल - बगल किसी दुसरे प्लौट का विकास करने हेतु डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट कराते हैं तो उस जमीन को एवं लेख्यकारीगण का जमीन को मिलाकर संयुक्त रूप से नक्शा पास कर भवन निर्माण कर सकते हैं तथा आने - जाने का रास्ता भी संयुक्त रहेगा। सभी जमीन मालिक का एरिया (हिस्सा अपने - अपने जमीन के हिस्से पर ही होगा।



26.यह कि निर्मित भवन का खुला छत (Open Terrace) सभी फ्लैट (भवन) में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकार समान्य होगा।

27.यह कि स्वीकृत नक्शे के अनुकूल भवन निर्माण होगा परन्तु नियमानुकूल वियलन कम्पाउडिंग एवं कंटोनेशन प्रावधान के अनुकूल डेभलपर्स करेगें इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

28.यह कि स्वीकृत नक्शे के अलावे विकास कर्ता नगर निगम के कानून के अन्तर्गत वियलन करके कम्पाउडिंग फिस जमा करके स्वीकृति प्रदान कर सकते है।

29.यह कि स्पेशीफिकेशन (Specification) के अनुसार भवन निर्माण होगा (Specification) के अलावे कार्य करवाने पर लेख्यकारीगण को अपने हिस्से का अतिरिक्त खर्च देय होगा।

30.यह कि नक्शे के अनुकूल निर्माण होगा उसमें किसी तरह का रद्दो वदल लेख्यकारीगण को अपने हिस्से के सम्पति में डेवलपर्स के सहमति से होगा रद्दो वदल में अतिरिक्त खर्च लेख्यकारीगण को देय होगा।

31.यह कि भवन निर्माण के अंतराल में लेख्यकारीगण एवं डेवलर्स के बीच सभी मुद्दो पर सहमति एवं सहयोग अनिवार्य है।

32.यह कि लेख्यकारीगण ने आज दिनांक – 29.11.2012 ई0 को निम्नलिखित गवाह के समक्ष इस भूखण्ड विकास डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट डीड को निष्पादित किया तथा जिसपर गवाहों ने भी अपना – अपना हस्ताक्षर बनाया।

गवाह का हस्ताक्षर

1

भू–स्वामीगण का हस्ताक्षर

29/11/12



2

भू–विकासक का हस्ताक्षर

29/11/2012

टंकक

नीरज प्रियदर्शी सोनी
पटना समाहरणालय,

प्रारूपकर्ता

29/11/12

मो0 साबरी (वसीका नवीस)
ला0 नं0 – 191/02
इसोपुर फुलवारी शरीफ,
जिला – पटना

**जमीन मालिक के क्षेत्र संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढ़ाचागत विवरण।**

**परिशिष्ट फ्लैट में**

(क) **ढ़ाचा** :–पी0एम0सी0/ सरकारी संस्था द्वारा स्वीकृति भू–कम्प–रोधी आर0सी0सी0 फेम स्ट्रक्चार ढ़ाचा। Ratio - M15:(1:2:4)

(ख) **सिविल कार्य** :– प्रथम कोटी का ईट, सिमेन्ट (बिड़ला गोल्ड,ए0सी0सी0 प्रीज्म एवं अल्ट्राटेक) का प्रयोग होगा।

(ग) **फर्श** :–फ्लैट का सभी फर्श क्षेत्र मार्बल टाईल्स का होगा।

(घ) **दरवाजा** :– लकड़ी का चौखट एंव पल्ला फ्लसडोर का होगा सभी फ्लैट का मुख्य दरवाजा सखुआ लकड़ी का होगा।

(ड़) **सिविल कार्य** :– स्टील बिन्डो और पिन हेडटे ग्लास

(च) **शौचालय** :– पैन एवं बेसिन नल एवं अन्य मार्क, जआ और मैक्सफो कम्पनी सामग्री आई0एस0आई0 ब्राण्ड का होगा। दिवाल में आर0सी0सी0 चौखट तथा फर्श (एन0टी0 एसकाड टाईल्स) लगेगा ग्लेज टाईल्स 6 फीट की उँचाई तक सभी डाउन को वाटर प्रोफिंग करना होगा।

(छ) **रसाई घर** :– ग्रेनाईट प्लैटफार्म, स्टैनलेस स्टील सिंक, दिवाल पर वार्किग प्लैटफार्म के उपर 2 फीट उँचा तक ग्लेज्ड टाईल्स एवं डाउन स्लेप का वाटर

प्रुफ करना है। गिजर पाईप लाईन (गर्म – ठंडा पानी की व्यवस्था)

(ज) **बिजली व्यवस्था** :– कन्डट पी0भी0सी0 पईप कॉपर तार, होल्डर, स्वीच, सिर्लींग रोज आदि हैवेल्स, कोना या ब्राण्डेड कम्पनी का लगेगा तार पी0भी0सी0 कोटेट एनक्र या ब्राण्डेंड कम्पनी का लगेगा।

(झ) **एक्ट्रनल फिनिशिंग** :–बाहरी दिवाल उजला सिमेन्ट एक कोट और वेदर कोट पेन्ट करना है।

(ट) **एक्सट्रा फैसलिटी** :– 1) ग्राउण्ड फ्लोर पर गार्ड रूम एवं शौचालय का निमर्ण करेगें

2) अपार्टमेन्ट के छत पर वाटर प्रुफींग करना है।

(ठ) **फायर सिस्टम** :– फायर सिस्टम देना है।

(ड) **जेनरेटर** :– समुचित छमता बिजली हेतु ध्वनिरहित जेनरेटर आई0एस0आई मार्क/महिन्द्रा/आईसर ब्राण्ड का होगा केवल मोटर पम्प और सार्वजनिक एरिया में विकास कर्ता द्वारा प्रावधान होगा।

(ढ़) **अन्य एक्सपेन्सेज** :– लिफ्ट, इन्टरकॉम, प्रत्येक फ्लैट का जेनरेटर (300 W) का अलग निर्धारित रकम देय होगा।

सत्यमेव जयते

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

KBV1257153



| | |
|---|---|
| Elector's Name | :Lalan Ray |
| निर्वाचक का नाम | :ललन राय |
| Father's Name | : Bajrangi Ray |
| पिता का नाम | : बजरंगी राय |
| Sex / लिंग | : Male / पुरुष |
| Age | : 32 Years as on 1.1.2002 |
| आयु | : ३२ वर्ष १.१.२००२ को |

Address : 66,Phuliya Tola, Bhusaula Danapur,
Town/Vill - Bhusaula Danapur,
Anchal - Phulwari Sharif,
Distt - Patna - 801505

पता : ६६,फुलिया टोला, भुसौला दानापुर,
शहर/गाँव - भुसौला दानापुर,
अंचल - फुलवारी शरीफ,
जिला - पटना - ८०१५०५

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
193,FULWARI(SC) Constituency
१९३, फुलवारी(अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

Place : Patna Sadar Date : 06/01/2003
स्थान : पटना सदर दिनांक : ०६/०१/२००३

This Card may be used as an Identity Card under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

KBV1257153